ANNEXURE-1

FORM-1
(for linear projects)
Govt of________
Office of the District Collector Kangra (HP)
****

No. 1070

Dated 13-7-18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009, wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7194 Hectares** of Forest Land proposed to be diverted in favour of Himachal Pradesh, Public Works Department for the **C/O Thathar to Ghatot via Draman** road in Kangra District (HP) falls within jurisdiction of **Thathar** village (s) in Nurpur Tehsil.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.7194** Hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Right Act Committee (s). Gram Sabha (s). Sub Divisional level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure VI

(b) The diversion of Forest land for facilities managed by Govt. as required under Section-3 (2) of the FRA Form-1 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagriculture communities.

Encl: As above.

Collector Kangra District

(Ritesh Chauhan)
District Collector,
Kangra at Dharamshala (HP).

Collector
Kangra District

दिनांक 24.6.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों से गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही ।

जिला स्तरीय समिति (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006) की बैठक दिनांक 24.06.2015 को श्री रितेश चौहान , भा0प्र0से0 उपायुक्त, कांगड़ा की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया (सूची सलंग्न)। बैठक में अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, नूरपुर तथा प्रधानाचार्य, नूरपुर द्वारा प्राप्त निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई ।

सड़क/स्कीम का नाम	रक्बा
1 लिंक रोड़ दरड़ नाला से डमोह तह0 नूरपुर	02–39–04 है0
2 दयोली से कथाल रोड़	00–01–98
3 नियार से मकोड़ जामन वाया छोह	02–12–85
4 गुरचाल से ठेहड़	01–14–93
5 वलदूम से हार	01–61–19
6 कुलान से डमोह मिंझग्रां	01–80–94
7 भलून से नूरपुर वाया वराल	01–32–39
8 गोलवां से चौंका रोड़	01–36–31
9 मंकोट से समेला वाया सुजांता ध्रमण रोड़	02–68–02
10वदूही –जतोली थोड़ा भलून	01–84–35
11जंडराह ऐरला रोड़	01–70–80
12आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर	01–80–00
13ममोह गुरचाल से थेहड़ वाया सनोह	00–00–87
14जाछ से गही लगोड़ वाया भुगनाड़ा	00–93–36
15 झरोली से झाड़ा रोड़	00–59–72
16 कोपड़ा से मेथी रोड़	00–94–79
17 हरिजन वस्ती वार्ड0 न0 1 से सम्पर्क वीसीडी रोड़	00–80–22
18 हाई स्कूल कोपड़ा से हरिजन बस्ती	00–25–08
19 चौरी से मैटा रोड़	00–66–14
20 गंगथ से धेरा रोड़	00–17–10
21 गथोट से गथोट वाया नवांशहर	00–61–56
22 मेथा से घेटा रोड़	00–61–56
23 गोलवा से घेटा रोड़	00–69–78
24 ठठर से गारन रोड़	00–64–93
25 ठठर से घटोट वाया द्रमण रोड़	00–71–94
26 हरिजन बस्ती से थोड़ा खास रोड़	00–32–06
27 वाटर सप्लाई स्कीम रमेहड़	00–02–00

उपमण्डलीय समिति नूरपुर तथा कांगड़ा द्वारा प्राप्त बैठक की कार्यवाही/सिफारिश से पाया गया कि किसी ग्राम सभा तथा वन अधिकार समिति से किसी भी व्यक्ति/समुदाय द्वारा कोई दावा पेश नही किया गया है । अतः बैठक में सर्वसम्मति से समस्त केसों को स्वीकार/पारित किया गया ।

स्थानः धर्मशाला
दिनांक जुलाई 2015

(श्री रितेश चौहान, भा0प्र0से)
उपायुक्त, कांगड़ा एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति, जि0कांगड़ा

4

आज दिनांक 24.6.2015 को रखे गये मामले जिनमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हैं मे निम्नलिखित अधिकारीगण व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया ।

नाम व पद	हस्ता/–
1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला	
2 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला	
3 वन मण्डल अधिकारी नूरपुर	
4 श्री अक्षय जसरोटिया सदस्य जिला परिषद	
5 श्री मती सवित भटेरिया उपरोक्त	
6 श्री प्रेम सागर उपरोक्त	Absent

कार्यालय उपमण्डल (ना०) नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006

आज दिनांक **16 मार्च 2015 को 11.00 बजे** पूर्वाहन को वन अधिकारों की मान्यता-2006 के अन्तर्गत **ठठर से घटोट वाया द्रमण** सडक के निर्माण हेतू उपयोग में आने वाली **00-71-94 हैक्टेयर** वन भुमि और अन्य सड़को की अनुमति हेतू उपमण्डल स्तर की बैठक **श्री राकेश कुमार प्रजापति (भ० प्र० से०) उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) नूरपुर** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित समिति में मनोनीत सदस्यों तथा विभाग के प्रतिनिधियों ने नाम लिया।

क्रम संख्या	नाम।	पदनाम।
1.	श्री अरुण कुमार तहसीलदार नुरपूर।	(सदस्य)
2.	श्री कुलदीप सिंह बी० डी० सी० सदस्य नागनी।	(सदस्य)
3.	श्री मुनीष रामपाल ए० सी० एफ० वन मण्डल नूरपुर।	(सदस्य)
4.	श्री रजनीश महाजन आर० एफ० ओ० वन मण्डल नूरपुर।	(सदस्य)
5.	श्री अरविन्द कुमार बी० डी० सी०।	(सदस्य)

बैठक की कार्यवाही

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर आभार व्यक्त किया तथा बैठक में **ठठर से घटोट वाया द्रमण** सडक के निर्माण हेतू उपयोग में आने वाली **00-71-94 हैक्टेयर** वन भुमि और अन्य सड़को के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा निम्न रुप से निर्णय लिए।

Diversion of **00-71-94 Hectares** of Forest Land in favour of Himachal Pradesh, Public Works Department for the construction of **C/O Thathar to Ghatot via Draman** Road in Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (HP).

बैठक में उपरोक्त **ठठर से घटोट वाया द्रमण** सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की तथा उपरोक्त **ठठर से घटोट वाया द्रमण** सडक के निर्माण हेतू उपयोग में आने वाली **00-71-94** हैक्टेयर के निर्माण में आने वाली वन भूमि व अन्य सड़को की अनुमति अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के अन्तगर्त हेतू सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई सभी वांछित कागजात सलग्न है।

स्थान :- नूरपुर।
दिनांक :-16-03-2015.

राकेश कुमार प्रजापति (भ० प्र० से०),
उपमण्डल अधिकारी (ना०) एंव अध्यक्ष,
उपमण्डल समिति, उपमण्डल नूरपुर,
जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

Sub Divisional Officer (Civil) Nurpur.

34

IV

OFFICE OF THE SDO(CIVIL), NURPUR
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the Sub Division level Committee of Nurpur Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Mr. **RAKESH KUMAR PRAJAPATI (IAS), SDO (CIVIL) Nurpur on 16th March 2015 at 11.00 AM at Nurpur (Place)** in which the application(s) claiming rights in **00-71-94 Hectares in Mohal Sukhar (Proposed to diverted under FCA, 1980 for " Construction of Thater to Ghatot via Draman Road" in favour of HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT**) forest areas under FRA,2006 of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee(s) of Sukhar Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the following decisions were taken on each application:-

S.No.	Name of Applicant	Decision (Recommended/not Recommended)
1.	Nil	

Place:- **Nurpur**
Date : **16th March 2015**

SDO (Civil) -Cum- Chairman/Chairperson
Sub- Division level Committee,
Nurpur Sub- Division.

Sub Divisional Officer, (Civil) Nurpur.

13

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006

कार्यालय ग्राम पंचायत ...सुखार...............

विकास खण्ड...नूरपुर...जिला...कांगड़ा.........(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/ श्रीमति.................... दिनांक.12-3-2015...

विषय :- ...लोक निर्माण...विभाग.. विभाग/ संस्था को ठठर गैहाट वाया हमण के निर्माण हेतू...................................जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित .... हैक्टेयर भुमि के उपयोग की मंजुरी के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत ....सुखार...........की बैठक आज दिनांक 12/3/15....... प-ट-०८...को ....बजे, स्थन सुखार....में की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था को ठठर गैहाट वाया हमण के निर्माण हेतू ....जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित.................. हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजुरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उददेश्यों को पूरी तरह ससझने के बाद र्स सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भुमि दिए जाने पर कोर्अ आपति नही है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वन अधिकारो के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है तथा प्रस्तावित .... हैक्टैयर वन भूमि को ठठर गैहाट वाया हमण सड़क.......... निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा सुखार को......... की सहमति दी जाती है।

स्थान ...सुखार।..........

दिनांक .12/3/2015.........

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत........ 12/3/15

सचिव ग्रा.पं. Sukhar वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

14

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा सुरवार

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....................

दिनांक.....................

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा सुरवार - भोगा की बैठक आज दिनांक 24/2/15 को 11 बजे, स्थान सुरवार भोगा में श्री/श्रीमति कान्ता देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें सुरवार-भोगा (द्रुमण) गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006 के अन्तर्गत..................... जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतू प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें ठठर, गटोट वाया द्रुमण सड़क .....के निर्माण के लिए..................... हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति..................... का जंगल/वन क्षेत्र में..................... के लिए अधिकार हेतू दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती हैं/तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान.....................
दिनांक.....................

Kanta Devi
प्रधान
सचिव
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
...पुर (कांगड़ा) हि०प्र०

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

हस्ताक्षर

1. श्री तुलसीराम = Tulsiram
2. श्री रमेश सिंह = रमेश सिंह
3. श्रीमति ऊषा देवी = ऊषा देवी
4. श्रीमति दर्शना देवी
5. श्रीमति पुजा देवी W/o संजय = पूजा देवी
6. निर्मला देवी W/o प्रदीप = निर्मला देवी
7. राजकुमारी W/o सोमराज = राजकुमारी
8. सुरेन्द्र कुमार = सुरिन्द्र कुमार
9. श्री शाम लाल = Sham lal
10. राजेन्द्र कुमार = राजिन्द्र कुमार
11. श्रीमति मधु बाला = Madhu Bala

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006

कार्यालय ग्राम पंचायत...गुरथाल...

ग्राम सभा...गुरथाल...

विकास खण्ड...नूरपुर...जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेष)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक...26/01/17 गणपूर्ति......... प्रस्ताव संख्या...4...

विषय:...लो० नि०... विभाग/ संस्था को...उपर च्लोह बोमा द्रमण... के निर्माण हेतू...गुरथाल, सौरखार... जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित ...0-97-09...हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा...गुरथाल... की बैठक आज दिनांक...26/01...को ...11 A.M...बजे, स्थान...गुरथाल... मे की गई, जिसमें...लो० नि०...विभाग/ संस्था को...उपर च्लोह द्रमण...के निर्माण हेतू...UP-69 SOKAAR C-14, CP-69 CW C-1... जंगल/ वन क्षेत्र मे प्रस्तावित...0-97-094...हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के एददेष्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावो के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियत के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित ...0-97-094... हैक्टेयर वन भूमि को...सड़क... निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा...गुरथाल...की सहमति दी जाती है।

स्थान ...गुरथाल...

दिनांक ...26/01/17...

ग्राम पंचायत एंव विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत...............

प्रधान ग्राम पंचायत गुरथाल

हस्ताक्षर Ranjana

दिनांक